



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032023-244469
CG-DL-E-18032023-244469

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944

No. 159]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

सा.का.नि. 198(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 10ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कंपनी सचिव (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 01 मार्च, 2019 में संख्यांक सा.का.नि.170(अ), द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (ii) और (iii) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:

“(ii) श्री शांतनु मित्रा,

सदस्य;

वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार,

कारपोरेट कार्य मंत्रालय,

8वां तल, लोक नायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

“(iii) श्री शिधिल शशि,

सदस्य”।

उप महानिदेशक,

कारपोरेट कार्य मंत्रालय,

चौथा तल, एचटी हाउस, केजी मार्ग,

नई दिल्ली-110003

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3/2/2019-पीआई]

इन्द्र दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 170(अ) तारीख 01 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार सा.का.नि. सं. 643(अ) तारीख 17 सितंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2023

G.S.R. 198(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10B of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) and in pursuance of rule 3 of the Company Secretaries (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, *vide* number G.S.R. 170(E), dated the 1st March, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), namely:-

2. In the said notification, for serial numbers (ii) and (iii) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

- | | | |
|-------|--|----------|
| “(ii) | Shri Santanu Mitra
Senior Economic Advisor,
Ministry of Corporate Affairs,
8 th Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market,
New Delhi- 110003. | Member; |
| (iii) | Shri Sidhil Sasi
Deputy Director General,
Ministry of Corporate Affairs,
4 th Floor, HT House, KG Marg,
New Delhi- 110001. | Member”. |

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/2/2019-PI]

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 1st March, 2019 *vide* number G.S.R. 170(E), and was last amended, *vide* G.S.R. No. 643(E), dated the 17th September, 2021.